रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 1984/आषाढ़ 30, 1906
No. 96] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 1984/ASADHA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1984

सार्वजनिक सूचना सं० 1-पी० आर० एन० पी०/84

फाइल सं० 601/23/84-एन०पी०-1(आर०एन०आई०) :—आयात और निर्यात नीति के परिशिष्ट-5, भाग-ख के अनुच्छेद 6 की शर्तानुसार (अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 के लिए) भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 के लिए, अखबारी कागज आबंटन नीति, जैसा कि अनुलग्नक में दी गई है, एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

2. आयातित अखबारी कागज की सभी किस्मों की कीमत उपरोक्त लाइसेंसिंग वर्ष की प्रत्येक छिमाही के लिए भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से निर्धारित होगी और भारत के राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली के द्वारा उसकी घोषणा होगी ।

केसर सिंह बैदवान, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

वर्ष 1984-85 के लिए अखबारी कागज की आबंटन नीति

1. प्रयोज्यता :

यह नीति लाइसेंसिंग वर्ष 1984-85 के दौरान अखबारी कागज के आबंटन पर लागू है, जिस पर अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 लागू होता है ।

2. परिभाषा :

इस नीति में, "समाचार पत्र" का अर्थ होगा दैनिक समाचार पत्र अथवा कोई भी अन्य आवधिक पत्र ।

3. पात्रता :

3.1 अखबारी कागज केवल समाचार पत्रों को आबंटित होगा ।

3.2 अखबारी कागज के आबंटन के लिए समाचारपत्र ग्राह्य होगा अगर दैनिक समाचार पत्र के मामले में उसकी नियमितता 90 प्रतिशत और अन्य आवधिकता के मामले में 66$\frac{2}{3}$ प्रतिशत है ।

3.3 भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा निम्नलिखित के लिए भी अखबारी कागज का आबंटन प्राधिकृत किया जा सकता है ।

1. समाचार एजेंसियों द्वारा टेलीप्रिंटर पर समाचार संप्रेषित करना,
2. समाचारपत्रों द्वारा मुद्रण परीक्षण,
3. शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए न्यून-मूल्य की पुस्तकों का मुद्रण, और
4. महाविद्यालय और विद्यालय की मैगजीनों का मुद्रण ।

3.4 प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणियां यद्यपि समाचारपत्रों के रूप में पंजीकृत की गई हैं, परन्तु वे अखबारी कागज के आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगी :—

(1) वस्तुओं अथवा सेवाओं की बिक्री को मुख्य रूप से प्रोत्साहन देने हेतु प्रकाशित जर्नल,

(2) उपक्रमों/फर्मों/औद्योगिक संबंधितों द्वारा निकाले गए गृह पत्र/पत्रिकाएं,

(3) कीमत सूचियां, सूचीपत्र तथा लाटरी समाचार,

(4) रेसिंग गाइडें तथा

(5) सेक्स मैगजिनें।

4. हकदारी :

4.1 किसी विद्यमान समाचारपत्र की 1984-85 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी उसके द्वारा 1983-84 में अखबारी कागज या सफेद प्रिंटिंग कागज अथवा दोनों की यथार्थ खपत के आधार पर उसके औसत प्रसार, पृष्ठों की औसत संख्या, प्रकाशित औसत पृष्ठ क्षेत्र तथा प्रकाशित दिनों की संख्या को हिसाब में लेते हुए निर्धारित की जाएगी। ऐसे मामलों में जहां कि वर्ष 1983-84 के लिए फार्म एन० पी०-2 में निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और उसके स्थान पर 1983 के वार्षिक विवरण की प्रति प्रस्तुत की गई है जैसा कि पैरा 6.2 में दिया गया है, उन मामलों में 1983-84 के अन्तिम तीन माह के दौरान खपत का प्रक्षेप 1-4-83 से 31-12-83 की अवधि के औसत के आधार पर निकाला जाएगा, जैसा कि वर्ष 1983 के वार्षिक विवरण में प्रदर्शित किया गया हो।

4.2 वर्ष 1984-85 की हकदारी निर्धारित करने हेतु निर्यात प्रोत्साहन के लिए योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान प्राप्त किए गए और खपत किए गए अखबारी कागज को भी हिसाब में लिया जाएगा।

4.3 समाचारपत्र के सभी संस्करण (अर्थात् जिसका वही नाम हो, वही आवधिकता हो, उसी भाषा में प्रकाशित किया गया हो और उसी स्वामी के स्वामित्व में हो) चाहे वे उसी स्थान से अथवा अलग-अलग स्थानों से प्रकाशित हुए हों, को एक समाचारपत्र माना जाएगा और उसकी हकदारी सभी संस्करणों को निष्पादन विवरणों के आधार पर निकाली जाएगी।

4.4 जिस समाचारपत्र/आवधिक पत्र द्वारा बताई गई प्रसार संख्या को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा 1983 में असिद्ध हुआ घोषित कर दिया गया है, वह 1984-85 में अखबारी कागज के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि पत्र की प्रसार संख्या "पुनः सिद्ध" न हो जाए। उस समाचारपत्र/आवधिक पत्र के मामले में, जिसकी प्रसार संख्या को भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा उसके द्वारा बताई गई प्रसार संख्या की तुलना में कम आंका गया है, 1984-85 के लिए पात्रता का आंकलन भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा यथा आंकलित प्रसार संख्या के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार का समाचारपत्र/आवधिक पत्र 1984-85 के लिए अपनी पात्रता के पुनरीक्षण के लिए पात्र नहीं होगा।

4.5 नए समाचारपत्रों को प्रथम चार महीनों के लिए प्रारम्भिक कोटे की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रसार के प्रक्षेप के सन्तुष्ट होने पर भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक निर्धारित करेंगे, जो दैनिकों के मामले में प्रति अंक आठ मानक पृष्ठों (2,540 वर्ग सें.मी.) की अधिकतम 10,000 प्रतियों और अन्य आवधिकों के मामले में सोलह मानक पृष्ठों के अधीन होगा।

4.6 नया समाचारपत्र जो अखबारी कागज का प्रारम्भिक कोटा प्राप्त करता है उसे प्रकाशन के तीन महीने बाद एक पक्ष के अन्दर आबंटित कागज के उचित प्रयोग का प्रमाण फार्म एन. पी.-2 में प्रस्तुत करना चाहिए। तत्पश्चात् वर्ष 1984-85 के लिए उसकी हकदारी प्रकाशन की तारीख से वास्तविक निष्पादन और शेष कोटा यदि कोई हो, के आधार पर निश्चित की जाएगी। बाकी कोटा यदि कोई हो, वह शेष वर्ष के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा।

4.7 जिस समाचारपत्र ने विगत में अखबारी कागज का आबंटन प्राप्त नहीं किया, वह उसके आवेदनपत्र की प्राप्ति के महीने से अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

4.8 समाचारपत्रों का प्रसार (क) विक्रय की गई प्रतियों की संख्या और (ख) मुफ्त वितरित की गई प्रतियों की संख्या बिना बिक्री लौटाई गई अथवा मुद्रित प्रतियां, जो न तो बिकी हों और न ही मुफ्त वितरित की गई हों, को हिसाब में लेकर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते यह संबंधित मुद्रण आदेश की निम्नलिखित प्रतिशतता से अधिक न हो :—

प्रसार	दैनिक/त्रि और द्विसाप्ताहिक	साप्ताहिक और पाक्षिक	अन्य
5,000 तक	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत	20 प्रतिशत
5,001 से 10,000 तक	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत	15 प्रतिशत
10,000 से अधिक	5 प्रतिशत	8 प्रतिशत	10 प्रतिशत

4.9 मूल हकदारी निकालने और उसके पुनरीक्षण करने में प्रेस पंजीयक जैसा वह उचित समझेंगे प्रत्येक मामले में सामान्य औसत खपत पर विश्वास करते हुए निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकते हैं :—

1. प्रसार में असाधारण अल्पावधि गिरावट जो विशेष परिस्थितियों जिसमें हड़ताल/तालाबन्दी या अन्य कारण शामिल हैं, से उत्पन्न हुई हो, और

2. समाचारपत्रों की प्रतियोगी प्रकाशनों में कार्य के बन्द होने/रुकावट होने अथवा अन्य कोई असाधारण परिस्थितियों से प्रसार में असाधारण वृद्धि।

ऐसे समाचारपत्रों के मामले में जो असाधारण रूप से लम्बी अवधि तक नहीं निकाले जा सके, उनकी हकदारी सभी संगत तथ्यों को हिसाब में लेने के बाद निकाली जा सकती है।

4.10 अगर किसी समाचारपत्र ने वर्ष 1983-84 अथवा किसी गत वर्ष में उसको आबंटित अखबारी कागज का उपयोग न किया हो तो उपयोग न की गई मात्रा को उसके वर्ष 1984-85 की हकदारी में समायोजित किया जाएगा।

4.11 समाचारपत्रों को अतिरिक्त अखबारी कागज निम्न सीमाओं तक छीजन की क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा।

(1) सभी समाचारपत्रों के लिए 5 प्रतिशत

(2) आवधिक के लिए बहुरंग प्रिंटिंग के मामले में 7 प्रतिशत

4.12 आयातित अखबारी कागज और स्वदेशी अखबारी कागज के लिए समाचारपत्रों की हकदारी 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निकाली जाएगी।

4.13 नेपा अखबारी कागज की उच्चतर ग्रामेज को दृष्टि में रखते हुए नेपा मिल से अखबारी कागज लेने के संबंध में समाचारपत्र को उसकी हकदारी की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक की अनुमति दी जाएगी, जिसका पैरा 4.12 के अनुसार गणन किया गया हो।

5. पुनरीक्षण :

जिस समाचारपत्र ने वर्ष 1984-85 के लिए अखबारी कागज की मूल हकदारी प्राप्त कर ली है, वह प्रसार में वृद्धि के आधार पर अधिक आबंटन के पुनरीक्षण के लिए वर्ष के दौरान एक बार आवेदन कर सकता है।

6. आवेदन-पत्र भेजने की प्रक्रिया :

6.1 प्रकाशक अथवा उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदनपत्र फार्म एन. पी.-1 और एन. पी.-2 में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक, नई दिल्ली को भेजने चाहिए ।

6.2 अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र के साथ फार्म एन. पी.-2 में वर्ष 1983-84 के निष्पादन विवरण का प्रमाणपत्र अथवा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19-बी के अनुसार, 1983 के वार्षिक विवरण की एक प्रति दाखिल करनी अपेक्षित है । जिस समाचारपत्र की औसत प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हैं, उसका निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र अथवा वार्षिक विवरण जैसा भी मामला हो, सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।

6.3 नए समाचारपत्रों द्वारा (उपरोक्त अनुच्छेद 4.5 के तहत) प्रारम्भिक कोटा के लिए आवेदन-पत्र फार्म एन. पी.-1 में देने चाहिए और उनके साथ निम्नलिखित होने चाहिएं :—

(1) फार्म एन. पी.-3; तथा

(2) आवेदक द्वारा निष्पादित बांड और जिसकी गारन्टी किसी अनुसूचित ग्रामीण या सहकारी बैंक द्वारा आवेदक की प्रारम्भिक हकदारी के अखबारी कागज के मूल्य के 20 प्रतिशत के लिए विधिवत दी गई हो । लेख्य-साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जब भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक संतुष्ट हो जाएं कि समाचारपत्र के प्रकाशन के लिए यह अखबारी कागज उपयोग किया गया है तो यह बांड रद्द कर दिया जाएगा ।

6.4 हकदारी के पुनरीक्षण के लिए दिए गए आवेदन पत्रों के साथ निम्नलिखित कागजात होने चाहिएं :—

(1) फार्म एन. पी.-2 में 1984-85 का निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र (आवेदनपत्र देने के महीने के पिछले महीने की अन्तिम तारीख तक) । ऐसे समाचारपत्रों के मामले में, जिसकी प्रसार संख्या, 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हैं, यह प्रमाण-पत्र सनदी लेखापाल द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तथा

(2) ऐसे मामलों में जहां अखबारी कागज की हकदारी 300 मीट्रिक टन से अधिक है, वर्ष 1983-84 के तुलन-पत्र की अधिप्रमाणित प्रति ।

7. आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख :

7.1 अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 30 सितम्बर, 1984 है ।

7.2 हकदारी के पुनरीक्षण के लिए आवेदन-पत्र भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास 30 नवम्बर, 1984 के पहले पहुंच जाने चाहिएं ।

8. अखबारी कागज का आबंटन :

8.1 अखबारी कागज—स्टैण्डर्ड और ग्लेज्ड का आबंटन साधारणतः रीलों में किया जाएगा । शीट फेड मशीन में मुद्रित होने वाले समाचार पत्र ही अपनी हकदारी केवल शीटों में प्राप्त करेंगे । अगर शीटें उपलब्ध नहीं हैं और यह प्रमाणित हो जाए कि प्रिंटिंग वास्तव में केवल शीटों में हुआ है तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए हकदारी में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी ।

8.2 300 मीट्रिक टन से न्यून हकदारी वाले समाचारपत्रों को स्वदेशी अथवा आयातित अखबारी कागज या तो भाग में अथवा पूर्ण में लेने का विकल्प प्राप्त होगा ।

8.3 जिस समाचारपत्र की पात्रता 300 टन से अधिक है, उसके लिए अखबारी कागज का आबंटन निम्नानुसार होगा :—

(1) पात्रता का 21 प्रतिशत नेपा अखबारी कागज मिल से

(2) पात्रता का 21 प्रतिशत मैसूर पेपर मिल से ।

(3) पात्रता का 23 प्रतिशतता केरल अखबारी कागज मिल से ।

(4) पात्रता का 35 प्रतिशत आयातित अखबारी कागज से ।
(आयात पात्रता का कम से कम एक चौथाई राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से उठाया जाना चाहिए ।)

8.4 उन आवधिक पत्रों को, जिनका प्रकाशन नियमित रूप से होता रहा है, उनकी पात्रता को ग्लेज्ड अखबारी कागज में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह उपलब्ध हो । उन आवधिकपत्रों, जो ग्लेज्ड अखबारी कागज के लिए पहली बार आवेदन करते हैं, के अनुरोधों पर पत्र की प्रसार संख्या, लक्ष्य पाठक और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

8.5 उस समाचारपत्र, जिसको पहली बार प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, को प्रारम्भिक कोटे के रूप में केवल देश में उत्पादित अखबारी कागज का आबंटन किया जाएगा । यह नए आवधिकपत्रों पर भी लागू होगा । आगे पात्रता को केवल तब ही रिलीज किया जाएगा जब इस बात का सबूत दिया जाएगा कि स्वदेशी अखबारी कागज का रिलीज किया गया प्रारम्भिक कोटा संबंधित समाचारपत्र द्वारा वास्तव में उठा लिया गया है और उसको प्रयुक्त कर लिया गया है ।

8.6 ऐसे तथ्यों की दृष्टि से जैसे कि अखबारी कागज की मात्रा की संभावित उपलब्धता और बफर स्टाक में पर्याप्त मात्रा बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न स्रोतों से आबंटन में पुनरीक्षण/परिवर्तन किया जा सकता है ।

8.7 अगर राज्य व्यापार निगम द्वारा लेटर्स आफ क्रेडिट की प्राप्ति के 120 दिन के भीतर लदान नहीं किया जाता तो हाई सी सेल्स के आधार पर बफर स्टाक से अनुपातिक मात्रा में आबंटन करने का प्रयत्न किया जाएगा जो बाद में फिर से पूरा किया जाएगा ।

9. वितरण :

9.1 आयातित अखबारी कागज के वितरण का कार्य पूर्णतया राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाएगा, जैसा कि इस नीति के अनुसार तथा अखबारी कागज नियंत्रण आदेश 1962 की व्यवस्थाओं के अनुपालन में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा ।

9.2 हाई सी सेल्स के आधार पर डिलिवरी विदेशी सप्लायर द्वारा लदिंग के लिए स्वीकार की गई न्यूनतम मात्रा के अधीन होगी ।

9.3 जिस समाचारपत्र को हाई सी सेल्स के आधार पर आबंटन किया जाता है उसको राज्य लघु उद्योग विकास निगम अथवा ऐसे अन्य निगम, जो राज्य में कार्यरत हैं अथवा उनके प्राधिकृत ऐजेन्टों के द्वारा भी डिलिवरी लेने की अनुमति होगी ।

9.4 ऐसा समाचार पत्र जिसकी हकदारी बहुत कम होने के कारण इस व्यवस्था में नहीं आ सकता क्योंकि वह हाई सी सेल्स आबंटन की शर्तों को पूरा नहीं करता है । वह समाचारपत्र दूसरे समाचारपत्रों के साथ अपनी हकदारी मिला सकता है और अखबारी कागज हाई सी सेल्स से, राज्य लघु उद्योग विकास निगम या कोई ऐसा अन्य निगम, जो राज्य में कार्यरत है, के द्वारा अथवा उसके लिए कार्य कर रहे प्राधिकृत ऐजेन्टों के द्वारा ले सकता है ।

9.5 स्वदेशी अखबारी कागज की हकदारी के लिए प्राधिकरण सीधे भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा संबंधित मिलों को जारी किए जाएंगे ।

9.6 समाचारपत्र को उसका आबंटन हाई सी सेल्स अथवा बफर स्टाक अथवा देशी स्रोतों से निम्नलिखित अवधि के भीतर उठाना होगा :—

1. 50 टन से कम हकदारी वाले	6 महीने के भीतर
2. अन्य	3 महीने के भीतर

अगर कोई समाचारपत्र ऐसा करने में असफल होता है तो वह आगे अखबारी कागज के आबंटन से वंचित होने का स्वयं उत्तरदायी होगा ।

9.7 यदि कोई समाचारपत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वदेशी अखबारी कागज को नहीं उठा पाता तो भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक आयातित अखबारी कागज की आगे रिलीज को रोकने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं जो आवश्यक समझी जाए ।

10. एक समाचारपत्र को आबंटित अखबारी कागज का दूसरे समाचारपत्र के लिए उपयोग करना ।

एक समाचारपत्र दूसरे समाचारपत्र को आबंटित अखबारी कागज का उपयोग नहीं करेगा यद्यपि संबंधित समाचारपत्र का वही स्वामित्व हो अथवा हाई सी सेल्स के आधार पर आयातित अखबारी कागज प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसकी हकदारी मिला देने की अनुमति दी गई हो।

11. खपत के संबंध में प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना :

11.1 जिस समाचारपत्र को अखबारी कागज का आबंटन किया गया हो उसको फार्म एन. पी.-2 में वर्ष 1984-85 के लिए निष्पादन विवरण प्रमाणपत्र यदि प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हो तो उसे सनदी लेखापाल से विधिवत प्रमाणित करवा कर 30 जून, 1985 तक प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा ।

11.2 जो समाचारपत्र निलम्बित हो जाता है अथवा जिसका प्रकाशन बन्द हो जाता है उसे प्रकाशन के निलम्बित/बन्द होने के एक महीने के भीतर फार्म एन. पी.-2 में निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक को प्रस्तुत करना होगा । भारत के समाचारपत्र के पंजीयक के निर्देशनों के अनुसार उसे उपयोग नहीं किया गया अखबारी कागज भी वापस करना होगा ।

12. अपवाद :

इस नीति में निहित किसी बात के होते हुए भी भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय अच्छे और पर्याप्त कारणों के लिए किसी भी अपेक्षा को छोड़ सकता है या इन उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकता है ।

13. फार्म :

फार्म एन. पी.-1, एन. पी.-2, एन-पी.-3 और बैंक गारंटी के नमूने संलग्न हैं ।

फार्म-1

फार्म-एन. पी.-1

अखबारी कागज के आबंटन के लिए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के आवेदन पत्र का फार्म ।

1. आवेदक का नाम

2. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम, आवधिकता तथा भाषा

3. डाक का पूरा पता

4. (क) दिनांक जब से समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र/नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है ।
   (ख) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या
   (ग) जिला मजिस्ट्रेट के यहां नवीनतम घोषणा दाखिल किए जाने की तारीख

5. सम्बन्धित का प्रकार अर्थात् सार्वजनिक/निजी स्वामित्व आदि तथा निदेशकों/भागीदारों आदि के नाम ।

6. 12 महीने के लिए अपेक्षित अखबारी कागज की मात्रा/मूल्य

7. (क) क्रमवार वितरण अपेक्षाएं
   (ख) प्राधिकृत-एजेन्ट का नाम

8. समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों का नाम तथा अन्य विवरण जो आवेदन के स्वामित्व में है

समाचारपत्र का नाम	भाषा तथा नियतकालिकता	प्रकाशन का स्थान	क्या सरकार द्वारा अखबारी कागज मिलता है ।

9. नए समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के प्रति प्रकाशन दिवस के प्रसार आदि का विवरण
   (क) प्रस्तावित प्रकाशन की तिथि
   (ख) छपने के लिए प्रस्तावित प्रतियों की औसत संख्या
   (ग) औसत पृष्ठ संख्या
   (घ) समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों के एक पृष्ठ का औसत क्षेत्र (वर्ग से. मी. में)
   (ङ) प्रकाशन दिवसों की संख्या

10. अखबारी कागज का विवरण (ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड/नेपा की आवश्यकता का अलग-अलग उल्लेख कीजिए)

मद संख्या	मात्रा मीट्रिक टनों में	कुल मूल्य (सी. आई. एफ.) (रुपयों में)

वर्ष 1983-84 की अवधि में की गई खपत।

वर्ष 1984-85 के लिए आवश्यकता।

11. पिछला लाइसेंसिंग वर्ष जिसमें भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय से अखबारी कागज लिया गया था।

12. (क) मशीन की किस्म (अर्थात् रोटरी/फ्लैटबैड) लैटरप्रेस।

(ख) अपेक्षित रीलों/शीटों का आकार।

घोषणा

1. मैं/हम एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही हैं। मैं/हम यह भली-भांति समझता हूं/समझते हैं कि मुझे/हमें जो भी आबंटन प्रस्तुत विवरण के आधार पर स्वीकृत होगा, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दिए गए विवरण गलत या असत्य हैं तो वह किसी अन्य जुर्माने के अलावा, जो सरकार लगा सकती है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जो की जा सकती है मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रद्द करने योग्य है।

2. मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि अगर अखबारी कागज का आबंटन किया जाता है तो वह केवल हमारे ऊपर दिए गए पते के प्रेस/मुद्रक संस्थान में प्रयुक्त होगा।

3. मैं/हम यह भी अच्छी तरह समझता हूं/समझते हैं कि सारणी बद्ध की गई मद (दों) का आबंटन सारणी बद्ध एजेन्सी के जरिए आयात व्यापार नियंत्रण विनियम के अन्तर्गत किया जाता है और जिन शर्तों पर माल की निकासी उपयोग के लिए दी जानी है ऐसी वस्तुओं के किसी दुरुपयोग करने के उल्लंघन पर आयात तथा निर्यात (केन्द्रीय) अधिनियम 1947, यथा संशोधित तथा उसे अन्तर्गत निर्गम आदेश की व्यवस्थाओं की ओर आकृष्ट होगा।

4 मैं/हम आयात नीति/आयात निर्यात प्रक्रिया की 1984-85 की हस्त-पुस्तिका के प्रासंगिक उपबंधों को नोट कर लिया है।

हस्ताक्षर—

नाम स्पष्ट अक्षरों में —

पद का नाम—

निवास स्थान का पता —

भाग—2

आयकर घोषणा

(अ) उन व्यक्तियों के संबंध में जिनकी आय कर योग्य नहीं है मैं/हम एतद्‌द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं, कि मैं/हम किसी भी आयकर एवं अग्रिम कर देने के उत्तरदायी नहीं हूं/हैं क्योंकि मेरी/हमारी आयु, चालू लेखा वर्ष एवं गत चार लेखा वर्षों में उस उच्चतम सीमा से कम रही है जिस पर आयकर नहीं लगता।

(ब) उन व्यक्तियों से संबंधित जिनकी आय आयकर योग्य है। मैं/हम एतद्‌द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि:—

(1) मैंने/हमने अपनी आज तक की आय के अपनी/हमारी देय राशि का ब्यौरा/ब्यौरे आयकर विभाग को दे दिया है।

(2) मैंने/हमने उन्हीं कर मांगों को छोड़कर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर दिए गए हैं, के अतिरिक्त शेष सभी करों सहित अग्रिम कर जो हम पर आय कर अधिनियम के अन्तर्गत देय थे उनका भुगतान कर दिया है।

(3) मैं/हम आयकर/सम्पत्तिकर छिपाने के आरोप में गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान दण्डित*सिद्धदोष घोषित नहीं किया गया/किए गए है।

(4) मैं/हम एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त घोषणा उन कम्पनियों जिनमें मेरे/हमारे प्रचुर हित**निहित है/या उन व्यक्तियों की फर्मों/एसोसिएशन जिसका मैं/हम क्रमशः भागीदार या सदस्य हूं/हैं, में भी लागू होते हैं।

या

उपरोक्त घोषणा उन व्यक्तियों के लिए भी लागू होती है जोकि आवेदक कंपनी में या आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों या आवेदक फर्म के भागीदार में प्रचुर हित**रखते हैं।

स्थान----------

दिनांक----------

हस्ताक्षर----------

पता ----------

स्थाई खाता नं.----------

निर्धारण करने वाले आयकर अधिकारी का पद----------

निर्धारण योग्य ----------

*यदि जुर्माने की लेवी के विरुद्ध कोई अपील की गई है और अपील आयकर सहायक आयुक्त, या आयकर अपील अधिकरण में रुकी पड़ी है तो ऐसी सजा (पेनल्टी) इस घोषणा के लिए नहीं ली जानी चाहिए।

**"प्रचुर हित" शब्दों का वही अर्थ है जो कि आयकर अधिनियम, 1961, सेक्शन 40(ए) (2) में स्पष्ट है।

फार्म-एन० पी०-2

1-4-83 से 31-3-84 तक की अवधि के लिए प्रसार आदि सम्बन्धी निष्पादन विवरण प्रमाण-पत्र की फार्म

1. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का नाम----------

2. प्रकाशन का स्थान----------

3. भाषा----------

4. आवधिकता/पीरियाडिसिटी----------
मास के दौरान

	अप्रैल 83	मई 83	जून 83	जुलाई 83	अगस्त 83	सितंबर 83	अक्तूबर 83	नवंबर 83	दिसंबर 83	जनवरी 84	फरवरी 84	मार्च 84	वर्ष का औसत
1. मास के अनुसार वास्तविक प्रकाशन दिवसों की संख्या													
2. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित प्रतियों की औसत संख्या													
3. प्रति प्रकाशन दिवस बेची गई प्रतियों की औसत संख्या।													
4. प्रति प्रकाशन दिवस मुफ्त वितरित (मानार्थ, बाउचर, विनिमय, बोनस, नमूना एवं कार्यालय प्रतियों सहित) की गई प्रतियों की औसत संख्या।													
5. अनबिकी वापिस की गई और अन्य मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या जो (3) और (4) में शामिल नहीं की गई।													
6. समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र का औसत आकार (वर्ग सें० मी० में)													
7. प्रति अंक पृष्ठों की औसत संख्या													
8. प्रति प्रकाशन दिवस प्रकाशित पृष्ठों की औसत संख्या।													
9. वर्ष के दौरान अखबारी कागज की कुल खपत (टनों में)।													

	अप्रैल 83	मई 83	जून 83	जुलाई 83	अगस्त 83	सितंबर 83	अक्तूबर 83	नवंबर 83	दिसंबर 83	जनवरी 84	फरवरी 84	मार्च 84	वर्ष का औसत
10. वर्ष 1983-84 के दौरान सफेद प्रिंटिंग कागज की कुल खपत (टनों में)													
11. आयात सवर्धन (आई० ई० पी० लाइसेंस) योजना के अन्तर्गत हासिल की गई अखबारी कागज की खपत और 1983-84 के दौरान खपत।													

प्रकाशक के हस्ताक्षर ——————————

प्रकाशक का नाम——————————

दिनांक ——————————

सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र

मैंने/हमने वर्ष 1983-84 के दौरान प्रकाशित सर्वश्री——————————(पत्र का नाम, भाषा और आवधिकता) के पुस्तकों और लेखा की जांच कर ली है और अपेक्षित सभी जानकारी और विवरण प्राप्त कर लिया है। मेरे/हमारे विचार से वर्ष 1983-84 के लिए दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी एवं लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रदत्त विवरण में प्रसार संख्या, पृष्ठ की संख्या, आकार और प्रकाशन दिवसों की संख्या का ही विश्लेषण करता है।

दिनांक——————————

हस्ताक्षर——————————

सनदी लेखापाल की मुहर

1. उस व्यक्ति का नाम एवं पद जिसने प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
2. पंजीकरण संख्या——————————
3. पता——————————

——————————

नोट : 1. यदि वर्ष के लिए औसत प्रसार संख्या 2,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हों तो प्रमाणपत्र सनदी लेखापाल के नामांकन-पत्र पर टाईप होना चाहिए और उसके द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

2. सभी औसत मास के अनुसार तत्संबंधी मास के दौरान निष्पादन के तथ्यों के आधार पर दिए जाने हैं।

3. (7) में दिए जाने वाले आंकड़ों, मास के दौरान प्रकाशित सभी अंकों के कुल पृष्ठों के जोड़ को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग करके प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि (8) में दिए जाने वाले आंकड़ों का हिसाब इस प्रकार होगा: एक अंक के पृष्ठों की संख्या को उस अंक के कुल प्रकाशित प्रतियों की संख्या से गुणा करने से तत्संबंधी प्रकाशन दिवस की कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या निकल आएगी। महीने में सभी प्रकाशन दिवसों का कुल प्रकाशित पृष्ठों की संख्या को जोड़ लेना चाहिए। मासिक औसत संख्या प्राप्त करने के लिए इस कुल संख्या को उस मास के कुल प्रकाशन दिवसों की संख्या से भाग किया जाना चाहिए।

फार्म एन. पी. 3

नए दैनिक नियतकालिक पत्रों के प्रकाशकों द्वारा दिया जाने वाला विवरण :—

1. समाचार पत्र/पत्रिका का नाम
   (क) नाम
   (ख) भाषा
   (ग) आवधिकता
2. अन्तिम घोषणा देने की तारीख
3. प्रकाशन आरम्भ करने की प्रस्तावित तारीख
4. मुद्रण हेतु प्रतियों की औसत प्रस्तावित संख्या
   (क) बिक्री हेतु प्रतियों की संख्या
   (ख) मुफ्त वितरण हेतु प्रतियों की संख्या

5. प्रकाशन का स्थान और मुद्रणालय का ब्यौरा

(क) मुद्रणालय के मालिक का विवरण

नाम :

पता :

(ख) छपाई की क्षमता

छपाई/मुद्राक्षर-विन्यास यंत्र (कम्पोजिंग मशीन) कार्मिक, माडल प्रति घंटा की गति और मशीन की वर्तमान आयु लिखें।

अर्थात् मशीन कब की बनी हुई है।

6. क्या अनुसूचित बैंक के नमूने के फार्म में बैंक की प्रत्याभूति (गारंटी) दी गई है।

7. यदि हां तो बैंक का नाम और प्रत्याभूति (गारन्टी) की रकम लिखें।

8. क्या अखबारी कागज अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा उठाया जाएगा।

9. यदि हां तो एजेंट का नाम लिखें।

10. अखबारी कागज को उठाने की शर्त किश्तों में है या थोक में/बफर स्टाक/हाई सी सेल्स में

11. सम्पादक का नाम

घोषणा

मैं/हम इस बात की घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर————————————

नाम स्पष्ट अक्षरों में————————

पद————————————

निवास स्थान का पता————————

————————————

बैंक गारण्टी के लिए फार्म

सेवा में,

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय),
पश्चिमी ब्लाक-8, विंग-2
रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली-110066

प्रिय महोदय,

जबकि सर्वश्री ————————————(इसके बाद "अलाटी" कहा जाएगा) ने समाचारपत्र के प्रकाशनार्थ अखबारी कागज की निम्नलिखित मात्रा आयात के लिए आपसे निवेदन किया है।

नाम———————————— भाषा————————————

आवधिकता————————————प्रकाशन का स्थान————————————

लगभग मात्रा————————————लगभग सी. आई. एफ. मूल्य रुपये————————————

और जबकि प्रस्तावित प्रकाशन के लिए, अग्रिम आबंटन की शर्त के अनुसार, आवेदन की गई अखबारी कागज की मात्रा के लगभग मूल्य का 20 प्रतिशत के लिए अलाटी को बैंक गारन्टी देना अपेक्षित है।

अब उपरोक्त वचनों के विचारार्थ में और अलाटी के निवेदन पर, हम (बैंक का नाम और पता) एतद्द्वारा शर्त के रूप में अटल गारन्टी देते हैं और यह कि विक्रय कीमत की अदायगी न करने के मामले में और/अथवा आपके द्वारा निर्धारित/निर्धारित होने वाली सभी अथवा किसी भी शर्त के पालन करने में अलाटी की ओर से अन्य कोई चूक/असफलता का भार अपने ऊपर लेते हैं और हम आपकी प्रथम मांग पर————————रुपये तक कोई भी राशि बिना विलम्ब अथवा अलाटी को बिना किसी हवाले के देंगे।

आपका यह निर्णय कि अलाटी की ओर से चूक/असफलता हुई है, अन्तिम निर्णायक और हम पर बाध्य होगा।

यह गारन्टी अलाटी को आपके द्वारा बताई गई किसी प्रकार के अभाव अथवा अनुग्रह और/अथवा आप द्वारा निर्धारित शर्तों में किसी परिवर्तन द्वारा और/अथवा उसी के गठन में और अथवा/अलाटी द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

यह गारन्टी जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए विधिमान्य है और उसकी समाप्ति की तारीख के छः महीने भीतर उसके अन्तर्गत रकम की मांग भेजनी चाहिए।

दिनांक :

भवदीय

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 21st July, 1984

Public Notice No. 1-PR-NP/84

File No. 601/23/84-NP-I (RNI):—In terms of para 6 of Appendix 5—Part B to the Import and Export Policy for April 1984—March 1985 the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting hereby notify the Newsprint allocation Policy for the licensing year April 1984—March 1985 as given in the Annexure.

2. The price of imported newsprint in all varieties will be fixed separately by the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting for each quarter of the above licensing year and the same will be announced through the State Trading Corporation of India, New Delhi.

K.S. BAIDWAN, Jt. Secy.

ANNEXURE

NEWSPRINT ALLOCATION POLICY 1984-85

1. Applicability:

This Policy is applicable to the allocation of newsprint to which the Newsprint Control Order, 1962 applies, during the licensing year 1984-85.

2. Definition :

In this policy, a "newspaper" shall mean a daily newspaper or any other periodical.

3. Eligibility:

3.1. Newsprint shall be allocated to newspapers only.

3.2. A newspaper shall be eligible for allocation of newsprint if it has a regularity of 90 per cent in case it is a daily newspaper and 66-2/3 per cent in case it has any other periodicity.

3.3. Allocation of newsprint may also be authorised by the RNI for the following:—

(i) Transmission of news over teleprinters by news agencies;

(ii) Trial printing by newspapers;

(iii) Printing of low-price books for promotion of education; and

(iv) Printing of college and school magazines.

3.4. The following categories of publications although categorised as newspapers shall not be eligible for allocation of newsprint:

(i) Journals published primarily to promote sale of goods or services;

(ii) House journals/magazines brought out by undertakings/firms/industrial concerns;

(iii) Price lists, catalogues and lottery news;

(iv) Racing guides; and

(v) Sex Magazines.

4. Entitlement:

4.1 The basic entitlement of newsprint for 1984-85 of an existing newspaper will be determined on the basis of actual consumption of newsprint or white printing papers or both in 1983-84 taking into account its average circulation, average number of pages, average page area published and the number of publishing days. In a case where performance particulars certificate for 1983-84 in form NP-2 has not been submitted and instead a copy of the annual statement for 1983 has been submitted as provided for in para 6.2, the projection of consumption during the last three months of 1983-84 will be made on the basis of the averages for the period from 1-4-1983 to 31-12-1983, as reflected in the annual statement for 1983.

4.2. Newsprint obtained under the scheme for export promotion and consumed during 1983-84 will also be taken into account in determining the entitlement of 1984-85.

4.3 All the editions of a newspaper (i.e., bearing the same title, having the same periodicity, published in the same language and owned by the same owner), whether published from the same place or from different places would be treated as one newspaper and its entitlement will be calculated on the basis of the performance particulars in respect of all the editions taken together.

4.4. A newspaper/periodical whose circulation claim has been declared as "unestablished" in 1983 by RNI, will not be eligible for newsprint in 1984-85 unless the paper's circulation is 're-established'. In case of newspapers/periodicals whose circulation had been assessed by RNI to be lower than the claimed circulation, entitlement for 1984-85 will be worked out on the basis of circulation as assessed by RNI Office. Such a newspaper/periodical will not be eligible for revision of its entitlement for 1984-85.

4.5 A new newspaper will be allowed an initial quota of newsprint for the first four months, as determined by the RNI, upon his satisfaction of the projection of circulation by the applicant, subject to a maximum of 10,000 copies per issue of eight standard pages (2,450 sq. cms.) in the case of dailies and of sixteen standard pages in the case of periodicals.

4.6 A new newspaper which receives an initial quota of newsprint should produce within a fortnight after three months of publication, evidence of

proper utilisation of the newsprint allocated to it, in form NP-2. Thereafter, its entitlement for the year 1984-85 from the date of publication will be determined on the basis of actual perfo mance and the balance quota, if any, released on submission of a formal application for newsprint for the rest of the year.

4.7. A newspaper which did not obtain allocation of newsprint in the past will be entitled to get newsprint from the month of receipt of its application.

4.8. The circulation of a newspaper will be determined taking into account (a) the number of copies sold and (b) the number of copies distributed free, returned unsold or printed but neither sold nor distributed free, provided these do not exceed the following percentage of the respective print order:

Circulation	Dailies/ tri & bi-weeklies	Weeklies and fort-nightlies	Others
Upto 5,000	10%	15%	20%
From 5,000 to 10,000	10%	10%	15%
Above 10,000	5%	5%	10%

4.9. In working out the basic entitlement and in revising it, RNI may, as considered appropriate by him in each case and relying on the normal average consumption, ignore :

(i) abnormal short-term fall in circulation arising from special circumstances including strikes/lockouts or other reasons; and

(ii) abnormal short-term increase in circulation attendant upon the closure/disruption of working competing newspapers or any other extraordinary circumstances.

In the case of newspapers which could not come out for an abnormally long period the entitlement may be worked out after taking into account all relevant factors.

4.10. If a newspaper had not utilised any quantity of newsprint allotted to it in 1983-84 or in any previous year the unutilised quantity will be adjusted against its entitlement for 1984-85.

4.11. Extra newsprint upto the limits indicated below will be allowed to newspapers as wastage compensation:—

(i) for all newspapers 5%

(ii) for periodicals in the case of multi-coloured printing. 7%

4.12. The entitlement of a newspaper for imported newsprint as also for indigenous newsprint will be worked out on the basis of 50 grm.

4.13. In respect of newprint from the NEPA mills a newspaper will be allowed 10% more than its entitlement for such newsprint calculated in accordance with para 4.12 in view of the higher gramage of NEPA newsprint.

5. Revision:

A newspaper which secures the basic entitlement of newsprint for 1984-85 can apply once during the year for upward revision of the allocation on the basis of increase in its circulation.

6. Procedure for submission of applications:

6.1 Applications for allocation of newsprint should be made by the publisher or a person duly authorised by him in this behalf in Forms NP-1 and NP-2 and should be addressed to the Registrar of Newspapers for India, New Delhi.

6.2. Applications for allocation of newsprint should be accompanied by a Performance Particulars Certificate for 1983-84 in Form NP-2 or a copy of the annual statement for 1983 required to be filed under Section 19-D of the PRB Act 1867. In the case of a newspaper whose average circulation exceeds 2,000 copies per publishing day its Performance Particulars Certificate or the annual statement as the case may be should be certified by a Chartered Accountant.

6.3. Applications for initial quota by new newspapers (vide para 4.5 above) should be made in Form NP-1 and should be accompanied by:—

(i) Form NP-3; and

(ii) A bond executed by the applicant and duly guaranteed by any scheduled rural or co-operative bank for 20 per cent of the value of the newsprint to which the applicant is entitled initially. This bond will be cancelled on the production of documentary evidence to the satisfaction of the RNI to show that the newsprint had been utilised for the publication of the newspaper.

6.4. Applications for revision of entitlement should be accompanied by the following documents :—

(i) Performance Particulars Certificate for 1984-85 (upto the end of the month preceding the month in which the application is made) in Form No.2. In case of publications with a circulation of more than 2,000 copies per publishing day, this must be certified by a Chartered Accountant; and

(ii) an authenticated copy of the balance-sheet for the year 1983-84 in cases where the entitlement of newsprint is above 300 tonnes.

7. Last date for receipt of applications :

7.1. The last date for receipt of applications for allocation of newsprint is 30th September 1984.

7.2. Applications for revision of entitlement should reach RNI on or before 30th November 1984.

8. Allotment of newsprint :

8.1. Allotment of newsprint—standard and glazed—will generally be made in reels. A newspaper printed on sheet-fed machine will however receive its entitlement only in sheets. In case, sheets are not available, the entitlement will be raised by 5 per cent for conversion of reels into sheets on giving proof that printing is actually carried out only in sheets.

8.2. A newspaper with an entitlement of less than 300 tonnes will have the option to obtain indigenous or imported newsprint either in part of in full.

8.3. The allocation of newsprint for a newspaper whose entitlement is above 300 tonnes will be as follows :

(i) 21% of the entitlement from Nepa Newsprint Mills.

(ii) 21% of the entitlement from Mysore Paper Mills.

(iii) 23% of the entitlement from Kerala Newsprint Mills.

(iv) 35% of the entitlement in imported newsprint (atleast one fourth of the import entitlement should be lifted from the STC's buffer stock).

8.4. Periodicals which have been in regular publication may be allowed to obtain their entitlement in glazed newsprint subject to availability. For periodicals, who apply for glazed newsprint for the first time their requests may be considered on merits having regard to paper's circulation targetted audience and other relevant factors.

8.5. In case of a new newspaper which is proposed to be published for the first time only indigenously produced newsprint will be allocated to it as initial quota. This will apply to new periodicals as well. Further entitlement will be released only after proof is adduced that the initial quota released in indigenous newsprint has actually been lifted and consumed by the newspaper concerned.

8.6. The allotment from different sources may be revised/varied in the light of such factors as quantities of newsprint likely to be available and the need to maintain adequate buffer stocks.

8.7. If a shipment is not affected within 120 days of receipt of Letters of Credit by STC efforts will be made to allot proportionate tonnage from the buffer stock on high sea sales basis which will be later replenished.

9. Distribution :—

9.1. The work relating to distribution of imported newsprint will be handled entirely by the STC as authorised by the RNI in accordance with this policy and in compliance with the provisions of the Newsprint Control Order, 1962.

9.2. Delivery on high sea sales basis will be subject to the minimum quantity being accepted for booking by the foreign supplier.

9.3. A newspaper which is given allotment on high sea sales basis will be allowed to take delivery also through the State Small Industries Development Corporation or any other such Corporation functioning in the state or through its authorised agents.

9.4. A newspaper which does not fulfil the condition of high sea sales allocations because of its individual entitlement being too small to be covered by that arrangement can club its entitlement with those of other newspapers and get newsprint on high sea sales basis through either the State Small Industries Development Corporation or any other such Corporation functioning in the state or through its authorised agents.

9.5. Authorisation for entitlement of indigenous newsprint will be issued by the RNI direct to the Mills concerned.

9.6. A newspaper shall lift its allotment from high sea sales or buffer stock or from indigenous sources within the periods specified below :—

(i) with entitlement of less than 50 tonnes.	within 6 months.
(ii) Others	within 3 months.

If a newspaper fails to do so it is liable to lose further allotment of newsprint.

9.7. In case a newspaper fails to lift indigenous newsprint within the prescribed time limit RNI make take such action as may be necessary to withhold further release of imported newsprint.

10. Use of newsprint allocated to one newspaper for another newspaper :

One newspaper shall not make use of the newsprint allotted to another newspaper even though the newspapers concerned have the same ownership or have been allowed to club their entitlement for the purpose of obtaining imported newsprint on high sea sales basis.

11. Submission of certificates regarding consumption :

11.1. A newspaper which is allotted newsprint shall submit to the RNI a Performance Particulars Certificate for 1984-85 in Form NP-2 not later than 30th June 1985 duly certified by a Chartered Accountant if the circulation is over 2,000 copies per publishing day.

11.2 A newspaper which suspends or ceases the publication shall submit to the RNI a Performance Particulars Certificate in Form NP-2 within a month of the suspension/cessation of its publication. It shall also surrender the newsprint not utilised by it as per directions of the RNI.

12. Exceptions :

Notwithstanding anything contained in this Policy the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting may waive any of the requirements or relax any of these provisions for good and sufficient reasons.

13. Forms :

Specimen of Forms NP-1, NP-2, NP-3 and Bank Guarantee are attached.

NP-I

FORM I

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF NEWSPRINT TO NEWSPAPERS/PERIODICALS

PART I

1. Name of the Applicant
2. Name of the Newspaper/periodicals and language & Periodicity
3. Full Postal Address
4. (a) Date from which newspaper/periodical is regularly published
   (b) Registration Number as given by Registrar of Newspapers for India.
   (c) Date of filing the latest declaration with District Magistrate.
5. Nature of concern i.e. Public/Private/Proprietorship etc. and name of Directors/Partners etc.
6. Quantity/Value of newsprint required for 12 months.
7. (a) Phased delivery requirement.
   (b) Name of the agent authorised :
8. Name and other particulars of newspapers/periodicals owned by the applicant :

Title of the paper	Language & Periodicity	Place of Publication	Whether getting newsprint through Govt.
1	2	3	4

9. Particulars of circulation etc. per publishing day for the new newspaper/Periodicals :
   (a) Date of proposed publication :
   (b) Average number of copies proposed to be printed :
   (c) Average number of pages :
   (d) Average area of one page of newspaper/periodical (in sq. cms.)
   (e) Number of Publishing days :

10. Particulars of newsprint (Specify glazed/unglazed/Nepa separately).

Item No.	Qty. in mts.	Source	Value (CIF) in Rs.
Consumed during 1983-84 :			
Required for the year 1984-85.			

11. Last licensing year in which newsprint was taken from the office of RNI

12. (a) Type of Machine (i.e. Rotary/Flathed/letter press) :

(b) Size of reels /sheets required.

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any allotment made to me/us on the basis of the statement furnished is liable to cancellation, in addition to any other penalty that the Govt. may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case if it is found that any of the statement or facts herein are incorrect or false.

2. I/We declare that the newsprint, if allotted will be used in our press/premises/establishments at the above mentioned address.

3. I/We also fully understand that the allocation of canalised item(s) through the canalising agency is made under the Import Trade Control Regulations and violation of the condition on which such goods are released to use any misuse of such goods will attract the provisions of Imports and Exports (Control) Act, 1947, as amended and orders issued thereunder.

4. I/We have noted the relevant provisions contained in the Import Policy/Hand Books of Import Export Procedures, 1984-85.

Signature ————————————

Name in Block letters————————————

Designation........................ ....

Address..

PART II

INCOME TAX DECLARATION

(a) In case of persons not having taxable Income, I/We hereby solemnly declare that I/We are not liable to pay any Income Tax including advance tax as the Income earned by me/us during the current accounting year and last four accounting years has been below the maximum limit not chargeable to tax.

(b) In case of persons having taxable Income

1. I/We have furnished to the Income-tax Department the return(s) of income due from me/us till date.

2. I/We have paid all taxes including advance tax due from me/us under the Income-tax Act other than the tax demand which has been stayed by the competent Authority.

3. I/We have not been penalised*/convicted for concealment of income/wealth during the last three calendar years.

I/We hereby solemnly declare that the above declaration also applied in the case of Companies in which I/We am/are having substantial interest.** or the firms or associations of persons in which I/We am/are Partner(s) or member (s) respectively.

OR

The above declaration is applicable in case of persons having substantial interest** in the applicant Company or members of the applicant association or Partners of the applicant firm.

Signature ....

Place ....

Address ....

Date ....

....

Permanent A/C No.

Designation of the ITO with whom assessed.

Assessable..

*If an appeal has been filed against the levy of penalty and the appeal is pending before the Appellate Assistant Commissioner of Income Tax Appellate Tribunal, such penalty need not be taken for the purpose of this declaration.

**The words "substantial interest" shall have the same meaning as in the explanation to Section 40 (A) (2) of the Income Tax Act, 1961.

NP-2

FORM OF PERFORMANCE PARTICULARS CERTIFICATE REGARDING CIRCULATION ETC. FOR THE PERIOD FROM 1-4-83 to 31-3-84.

1. Name of the Newspaper/Periodical..... 2. PLACE OF PUBLICATION.....

3. Language..... 4. Periodicity.....

During the month of

	Apr. 83	May 83	June 83	July 83	Aug. 83	Sept. 83	Oct. 83	Nov. 83	Dec. 83	Jan. 84	Feb. 84	Mar. 84	Average for the year
1. Actual No. of publishing days month-wise.													
2. Average No. of copies printed per publishing day.													
3. Average No. of copies sold per publishing day.													
4. Average No. of copies distributed free per publishing day (including complementary voucher, exchange bonus sample and office copies).													
5. Average No. of unsold returns and other copies printed but not included in (3) & (4).													
6. Average size of the newspaper/periodical (in sq. cm.)													
7. Average No. of pages per issue.													
8. Average No. of pages printed per publishing day.													
9. Total consumption of newsprint during the year (in tonnes)													
10. Total consumption of white printing paper during the year. 1983-84 (in tonnes)													
11. Consumption of newsprint obtained under the scheme of Export promotions (REP licenses) and consumed during 1983-84.													

Signature of the publisher.....
Name of the Publisher.....
Date .....

CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANTS

I/We have examined the books and account of M/s. .....(Name, Language and periodicity of the paper published for the year 1983-84 and have obtained all the information and explanation required by us. In my/our opinion the statement set forth above reflects true and correct analysis of circulation, page, size and number of publishing days for the year 1983-84 to the best of my/our information and belief and according to the explanation given to me/us by the books of account etc.

Date..... Signature.....

Stamp of the Chartered Accountant.

1. Name and signature of the person who has signed the certificate. .....
2. Registration No.....
3. Address:.....

NOTE:

1. If the average circulation for the year is more then 2,000 copies per publishing day, the certificate should be typed on the letter head of a Chartered Accountant and should be duly countersigned by him.
2. All the averages have to be given monthwise on the basis of the particulars of performance during the relevant month.
3. Te figures to be given against (7) should be arrived at by adding the total number of pages of all the issues published during a month and dividing the total by the number of publishing days in that month, while the figures against (8) should be worked out like this: The number of pages of an issue multiplied by the total number of copies printed of that issue will give the information about the total number of pages printed on the relevant publishing day. The total number of pages printed on all the publishing days in a month shouldbe added. The monthly average should be arrived at by dividing this total by the total number of publishing days in that month.

NP-3

STATEMENT TO BE GIVEN BY THE PUBLISHERS OF NEW DAILIES/PERIODICALS

1. Name of the Newspaper/Periodical:
   (a) Name
   (b) Language
   (c) Periodicity
2. Date of filing the latest declaration :
3. Proposed date of commencement of the publication.
4. Average number of copies proposed to be printed.
   (a) Number of Sale :
   (b) Number of free distribution :
5. Place of printing and particulars of the Press :
   (a) Particulars of the owner of the Press :
   Name
   Address
   (b) Printing capacity ;
   Details of printing/composing machine indicating the make, model, speed per hour and present life of the machine.
6. Whether bank guarantee has been executed in the specimen Form of the Scheduled Bank.
7. If so, the name of the bank and value of the guarantee.
8. Whether newsprint is to be lifted through agent.
9. If so, the name of the agent.
10. The term of lifting newsprint in instalments or in one lot, buffer stock/high sea sales.
11. Name of the Editor :

DECLARATION

I/We hereby declare that the above statements are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

Place :
Date :

Signature .....
Name in Block letters.....
Designation ... .
Residential Address .....

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

To

The Registrar of Newspapers for India,
(Ministry of Information & Broadcasting).
West Block No. 8, 1st Floor, Wing No 2.
R.K. Puram, New Delhi-110066

Dear Sir,

Whereas M/s .... (hereinafter referred to as "Allottee") have applied to you for import of the under-mentioned quantity of newsprint for publication of the newspaper :

Name ....Language..... .....

Periodicity .....Place of publication.. ....

Approx. Quantity

Approx. CIF Price Rs.

And whereas as per conditions of the advance allocation for the proposed publication, Allottee is required to have a Bank Guarantee for 20% of the approximate value of the newsprint quantity applied for.

Now in consideration of the above premises and at the request of the Allottee, We (Name and address of the Bank) hereby conditionally irrevocably guarantee and undertake that in the event of non-payment of sale price and/or any other default/failure on the part of Allottee to observe all or any of the conditions prescribed/to be prescribed by you, we shall on your first demand pay to you any sum up to Rs.....,without demur or without any reference to Allottee.

Your decision that there has been a default/failure on the part of the Allottee shall be final, conclusive and binding on us.

This guarantee shall not be effected by any forbearance or indulgence of any kind shown by you to the Allottee and/or any change in the conditions prescribed by you and /or in the constitution of the same and/or the Allottee.

This guarantee is valid for a period of three months from the date of issue and a claim under it must be referred within six months of the date of its expiry.

Yours faithfully,

SIGNATURE OF THE AUTHORISED BANK OFFICERS

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984